दिनांक 20.07.2026
प्रेस विज्ञप्ति 387/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद चन्दौली/थाना शहाबगंज

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 19.07.2026 को थाना शहाबगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरस्कार घोषित अभियुक्त सरवन कुमार उर्फ श्रवण को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद चन्दौली के विभिन्न थानो में सीएस एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 06 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना शहाबगंज पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना शहाबगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सरवन कुमार उर्फ श्रवण निवासी ग्राम बसिला थाना व जनपद चन्दौली।

जनपद अमरोहा/थाना गजरौला

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट की घटना का अनावरण**
- **लूट के 30 हजार 400 रूपये नगद**
- **घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 20.07.2026 को थाना गजरौला पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम कांकाठेर रोड से अभियुक्त साहिल को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लूट के 30 हजार

400 रूपये नगद, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना गजरौला क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाश द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना गजरौला पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण का प्रयास किया जा रहा था। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद रूपये उक्त लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना गजरौला पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–साहिल निवासी ग्राम बिजौरा थाना गजरौला जनपद अमरोहा।

बरामदगी

1–लूट के 30 हजार 400 रूपये नगद।

2–घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल।

3–01 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित कारतूस।

जनपद कानपुर देहात/थाना सिकन्दरा

- **06 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 10 मोटर साइकिल**
- **नगद रूपये, 06 मोबाइल फोन**
- **घटना में प्रयुक्त 01 थ्री व्हीलर लोडर आदि बरामद**

दिनांक 19.07.2026 को थाना सिकन्दरा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मानपुर पुल अण्डरपास के पास चेकिंग के दौरान 06 अभियुक्तों 1– कुनाल 2–कसीम 3–साहिबे आलम उर्फ शिब्बू 4–रमजान अली 5–मुन्ना उर्फ हसनैन 6–शेर सिंह उर्फ शेरू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 10 मोटर साइकिल, नगद रूपये, 06 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त 01 थ्री व्हीलर लोडर आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना सिकन्दरा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—कुनाल निवासी ग्राम हिसावां थाना मंगलपुर, जनपद कानपुर देहात।

2—कसीम निवासी सन्दलपुर, थाना मंगलपुर, जनपद कानपुर देहात।

3—साहिबे आलम उर्फ शिब्बू निवासी सन्दलपुर, थाना मंगलपुर, जनपद कानपुर देहात।

4—रमजान अली निवासी सन्दलपुर, थाना मंगलपुर, जनपद कानपुर देहात।

5—मुन्ना उर्फ हसनैन निवासी मोहल्ला दलेलनगर, कस्बा व थाना अजीतमल, जनपद औरैया।

6—शेर सिंह उर्फ शेरू निवासी रसूलाबाद थाने के पास, थाना रसूलाबाद, जनपद कानपुर देहात।

<u>बरामदगी</u>

1—चोरी की 10 मोटर साइकिल।

2—नगद रूपये, 06 मोबाइल फोन

3—घटना में प्रयुक्त 01 थ्री व्हीलर लोडर आदि।

<u>जनपद बुलन्दशहर/थाना खुर्जा नगर</u>

- **05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 09 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 20.07.2026 को थाना खुर्जानगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर आर0के0 फार्म हाउस के पास से 05 अभियुक्तों 1—अनिल 2—प्रमोद 3—सलीम 4—असलम 5—पवन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 09 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त अनिल के विरूद्ध जनपद अलीगढ़, बुलन्दशहर, कमिश्नरेट गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर के विभिन्न थानों पर वाहन चोरी, लूट, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 37 अभियोग व

अभियुक्त प्रमोद के विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर व कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के विभिन्न थानों पर वाहन चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 10 अभियोग, अभियुक्त असलम, सलीम के विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर के विभिन्न थानों पर वाहन चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 08–08 अभियोग व अभियुक्त पवन के विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर व कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के विभिन्न थानों पर वाहन चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 09 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना खुर्जानगर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अनिल निवासी ग्राम बरोठ छज्जुमल थाना लोधा जनपद अलीगढ़।

2–प्रमोद निवासी ग्राम रतनपुर थाना औरंगाबाद जनपद बुलन्दशहर।

3–सलीम निवासी ग्राम ठैंगोरा थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर।

4–असलम निवासी ग्राम सरावा दादूपुर थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर।

5–पवन निवासी जट्टारी अड्डा वार्ड 5 कस्बा व थाना पिसावा जनपद अलीगढ़।

बरामदगी

1–चोरी की 09 मोटर साइकिल।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि।

कमिश्नरेट आगरा/थाना मलपुरा

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **102.340 किग्रा0 अवैध गांजा**
- **03 मोबाइल फोन**
- **1200/–रूपये नगद**
- **घटना में प्रयुक्त ट्रक आइशर बरामद**

दिनांक 19/20.07.2026 की रात्रि थाना मलपुरा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मलपुरा रोहता रोड़ जारूआ कटरा मोड़ के पास से 02 अभियुक्तों 1–देवेन्द्र 2–प्रिंस को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 102.

340 किग्रा0 अवैध गांजा, 03 मोबाइल फोन, 1200/–रूपये नगद, घटना में प्रयुक्त ट्रक आइशर बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना मलपुरा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–देवेन्द्र निवासी घोड़ी बछेड़ा थाना दादरी कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

2–प्रिंस निवासी जनकीगढ़ई टेहू थाना बरहन कमिश्नरेट आगरा।

बरामदगी

1–102.340 किग्रा0 अवैध गांजा।

2–03 मोबाइल फोन।

3–1200/–रूपये नगद।

4–घटना में प्रयुक्त ट्रक आइशर।

➢ **जनपद श्रावस्ती/थाना कोतवाली भिनगा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 20–20 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद श्रावस्ती पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद श्रावस्ती द्वारा थाना कोतवाली भिनगा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–बाबूराम 2–राजितराम 3–राजेन्द्र को आजीवन कारावास व 20–20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

➢ **जनपद शाहजहाँपुर/थाना कोतवाली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद शाहजहाँपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद शाहजहाँपुर द्वारा थाना कोतवाली पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/376 भादवि व 4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त सौरभ को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बुलन्दशहर/थाना कोतवाली देहात (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना कोतवाली देहात पर पंजीकृत अभियोग में धारा 124(1) भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त तसलीम उर्फ अयान को 12 वर्ष के कठोर कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद श्रावस्ती/थाना सोनवा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 24 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद श्रावस्ती पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद श्रावस्ती द्वारा थाना सोनवा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376/323/504 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त मंगलेश्वर को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 24 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

दिनांक 20.07.2026
प्रेस विज्ञप्ति 388/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

काँवड़ यात्रा–2026 एवं श्रावण शिवरात्रि के दृष्टिगत पुलिस महानिदेशक एवं मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में अन्तर्राज्यीय समन्वय बैठक सम्पन्न, तत्पश्चात मुजफ्फरनगर में व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण एवं कानून-व्यवस्था की समीक्षा

माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश **श्री योगी आदित्यनाथ जी** द्वारा काँवड़ यात्रा–2026 एवं श्रावण शिवरात्रि के अवसर पर श्रद्धालुओं की सुरक्षित, सुगम, निर्विघ्न एवं दुर्घटनामुक्त यात्रा सुनिश्चित करने हेतु दिए गए निर्देशों के क्रम में आज दिनांक 20-07-2026 को मेरठ मंडलायुक्त सभागार में **मुख्य सचिव उ0प्र0, श्री शशि प्रकाश गोयल** एवं पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, **श्री राजीव कृष्ण** की संयुक्त अध्यक्षता में उत्तराखण्ड, हरियाणा, राजस्थान एवं दिल्ली के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण अन्तर्राज्यीय समन्वय बैठक आयोजित की गई।

बैठक में **उत्तराखण्ड** से एडीजी एल.ओ. श्री वी० मुरुगेशन, पुलिस महानिरीक्षक गढवाल परिक्षेत्र श्री राजीव स्वरूप, DM हरिद्वार श्री मयूर दीक्षित, SSP हरिद्वार श्री नवनीत सिंह भुल्लर, **हरियाणा** से पुलिस महानिरीक्षक करनाल परिक्षेत्र श्री अशोक कुमार, **राजस्थान** से एडीजी एल.ओ. श्री विजय कुमार सिंह, **दिल्ली** से संयुक्त पुलिस आयुक्त साउथ रेंज श्री विजय कुमार के द्वारा भौतिक रूप से प्रतिभाग किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से SSP देहरादून श्री प्रमेन्द्र डोबाल, SSP पौड़ी श्री सर्वेश पँवार, SSP टिहरी श्रीमती श्वेता चौबे, पुलिस आयुक्त गौतमबुद्धनगर श्रीमती लक्ष्मी सिंह, जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक जनपद बुलन्दशहर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बागपत, हापुड़, शामली एवं अन्य अधिकारीगण द्वारा प्रतिभाग किया गया।

बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य सचिव उ0प्र0 श्री **शशि प्रकाश गोयल** ने कहा कि इस वर्ष **दिल्ली–सहारनपुर इकोनॉमिक एक्सप्रेस-वे** एवं **गंगा एक्सप्रेस-वे** के संचालन के दृष्टिगत विशेष ट्रैफिक प्रबंधन योजना तैयार की गई है, जिसकी जानकारी समय से जनसामान्य एवं काँवड़ संघों तक पहुंचाई जाएगी। उन्होंने सभी विभागों के मध्य बेहतर समन्वय, संवेदनशील एवं मर्यादित व्यवहार, तथा किसी भी संभावित अवांछित गतिविधि की रोकथाम हेतु अभिसूचना तंत्र को सक्रिय एवं सतर्क रखने पर बल देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि सभी राज्यों एवं विभागों के समन्वित प्रयासों से काँवड़ यात्रा-2026 सुरक्षित, सुव्यवस्थित एवं सफलतापूर्वक सम्पन्न होगी।

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि काँवड़ यात्रा **सम्पूर्ण मेरठ क्षेत्र का सबसे बड़ा वार्षिक आयोजन (Biggest Event)** है, जिसमें अनेक जनपद एवं विभिन्न राज्यों की सहभागिता होने के कारण अन्तर्राज्यीय एवं अन्तर्जनपदीय समन्वय ही इसकी सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। उन्होंने कहा कि बैठक में लिए गए **सभी निर्णयों का ग्राउंड लेवल पर प्रभावी क्रियान्वयन** सुनिश्चित किया जाए तथा किसी भी स्तर पर समन्वय की कमी न रहने पाए।

पुलिस महानिदेशक ने इस बात पर बल दिया कि **काँवड़ यात्रा शुरू होने से पूर्व ही प्रत्येक काँवड़ संघ, शिविर एवं डीजे संचालक तथा स्थानीय आयोजकों के साथ वार्ता कर उन्हें यात्रा की व्यवस्थाओं, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश एवं डीजे के निर्धारित मानकों** से अवगत करा दिया जाए।

उन्होंने निर्देशित किया कि स्थानीय पुलिस, बीट स्टाफ एवं क्षेत्रीय अधिकारी, काँवड़ यात्रा से संबंधित स्थानीय व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से काँवड़ संघों एवं संबंधित पक्षों के साथ सतत संवाद एवं समन्वय बनाए रखें, ताकि संवादहीनता की कोई स्थिति उत्पन्न न हो तथा किसी भी संभावित विवाद का स्थानीय स्तर पर समयबद्ध एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जा सके।

पुलिस महानिदेशक ने कहा कि इस वर्ष का लक्ष्य **"Zero Incident, Zero Accident"** है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि पिछले वर्ष की तुलना में हुए उल्लेखनीय सुधार को आगे बढ़ाते हुए सभी राज्यों एवं जनपदों के समन्वित प्रयासों से इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा।

उन्होंने सही एवं प्रमाणिक सूचना के मीडिया एवं सोशल मीडिया के माध्यम से त्वरित प्रसारण तथा **सोशल मीडिया पर फेक न्यूज एवं अफवाहों के त्वरित खण्डन एवं आवश्यक कार्रवाई** सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

पुलिस महानिदेशक ने यात्रा के प्रारम्भिक दिनों में अनुशासन, निर्धारित मानकों के अनुपालन तथा श्रद्धालुओं के प्रति पुलिस के संवेदनशील, संयमित एवं मर्यादित व्यवहार को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि **यात्रा का प्रारम्भिक वातावरण ही पूरे आयोजन की दिशा निर्धारित करता** है। साथ ही अधिकारियों को निर्देशित किया कि ड्यूटी पर तैनात प्रत्येक पुलिसकर्मी को उसके कार्यक्षेत्र, स्थानीय चुनौतियों एवं दायित्वों के संबंध में **व्यवहारिक प्रशिक्षण (Behavioural Training) एवं विस्तृत ब्रीफिंग** प्रदान की जाए।

अंत में पुलिस महानिदेशक ने कहा कि सीमाएँ भले ही अलग-अलग राज्यों की हों, किन्तु **कार्यप्रणाली, समन्वय एवं वास्तविक समय में सूचनाओं का आदान-प्रदान** एक समान एवं सतत रहना चाहिए।

अन्तर्राज्यीय समन्वय बैठक के उपरांत पुलिस महानिदेशक द्वारा मेरठ पुलिस लाइन स्थित **इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (ICCC)** का निरीक्षण किया गया एवं मेरठ जोन कार्यालय में नवस्थापित सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल, साइबर मॉनिटरिंग सेल एवं अपराध शाखा भवन का उद्घाटन किया गया।

मुजफ्फरनगर भ्रमण एवं निरीक्षण

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश ने जनपद मेरठ से प्रस्थान करके जनपद **मुजफ्फरनगर** का भ्रमण कर शिव चौक पर काँवड़ यात्रा की सुरक्षा एवं नागरिक सुविधाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बैरिकेडिंग, रूट डायवर्जन योजना, काँवड़ कंट्रोल रूम, सीसीटीवी एवं ड्रोन निगरानी, पुलिस बल की तैनाती, भीड़ एवं यातायात प्रबंधन सहित काँवड़ सम्बन्धी समस्त सुरक्षा व्यवस्थाओं का गहन अवलोकन किया गया।

तत्पश्चात रिजर्व पुलिस लाइन, मुजफ्फरनगर स्थित सभागार में सहारनपुर परिक्षेत्र के जनपद मुजफ्फरनगर, सहारनपुर एवं शामली की काँवड़ यात्रा से सम्बन्धित व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। इस बैठक में जनपद मुजफ्फरनगर के समस्त अधिकारी एवं क्षेत्राधिकारी भौतिक रूप से एवं जनपद **सहारनपुर व शामली के क्षेत्राधिकारी एवं अन्य अधिकारी ऑनलाइन उपस्थित** रहे। बैठक में काँवड़ यात्रा की तैयारियों के सम्बन्ध मे पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर, सहारनपुर एवं शामली द्वारा प्रस्तुतीकरण दिया गया। **पुलिस महानिदेशक द्वारा बैठक में सभी क्षेत्राधिकारी से वार्ता करके काँवड़ की तैयारियों का फीडबैक प्राप्त किया गया।**

बैठक को संबोधित करते हुए पुलिस महानिदेशक ने निर्देशित किया कि काँवड़ यात्रा के दौरान प्रत्येक संभावित परिस्थिति के लिए पूर्व निर्धारित रिस्पॉन्स प्लान तैयार किया जाए तथा विशेष रूप से आतंकवाद-रोधी परिदृश्यों एवं अन्य विशेष आकस्मिक परिस्थितियों में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड (ATS) एवं अन्य विशेष पुलिस बलों की भूमिका एवं रिस्पॉन्स मैकेनिज्म स्पष्ट रूप से निर्धारित रहे। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विभिन्न परिस्थितियों में प्रभावी *Situation Response* के लिए समुचित रूप से *Trained* एवं *Briefed* किया जाए तथा विशेष पुलिस बल की टीमों को उनके निर्धारित दायित्वों के अनुरूप विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाए, जिससे आवश्यकता पड़ने पर प्रत्येक टीम त्वरित, समन्वित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित कर सके।

उन्होंने बाहरी जनपदों एवं अन्य राज्यों से आने वाले पुलिस बल के आवास, भोजन, संचार एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित रखने तथा राज्य सीमा (स्टेट बॉर्डर) पर श्रद्धालुओं के लिए सभी आवश्यक नागरिक सुविधाओं से युक्त होल्डिंग एरिया विकसित किए जाने के निर्देश भी दिए गए।

तत्पश्चात **"एक पेड़ माँ के नाम"** अभियान के अंतर्गत पुलिस महानिदेशक द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन, मुजफ्फरनगर परिसर में वृक्षारोपण भी किया गया।

यात्रा 2026
बैठक

श्री राजीव कृष्णा

एक पेड़ माँ के नाम